मध्यप्रदेश विधान सभा

जून, 2018 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018 (आषाढ़ 5, 1940)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75 (क) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) एफ बी-7(बी)-04-05-2018-पांच-(27), दिनांक 11 अप्रैल, 2018 एवं

(ख) एफ बी-7(बी)-04-05-2018-पांच-(28), दिनांक 11 अप्रैल, 2018,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री पारसचन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार म.प्र.विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 6 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, तथा

(ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 513/म.प्र.वि.नि.आ./2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री –

(क) खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) के अंतर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम-18 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, ग्वालियर (म.प्र.) का दिनांक 31 मार्च, 2014 तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमश: 29 वां एवं 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा,

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, तथा

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 अधिसूचना क्र.128 एफ-4-129-2014/18-1, दिनांक 12 मार्च, 2015,

(ii) मध्यप्रदेश राज्य नगरीय वित्त सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2017 अधिसूचना क्र.45-एफ-4-215-2016/18-1, दिनांक 11 मई, 2017,

(iii) नगरपालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 अधिसूचना क्र.71 ए-10-01-18-2, दिनांक 26 मई, 2017,

(iv) मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद संविदा विशेषज्ञों एवं दैनिक सहायकों की सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 अधिसूचना क्र.69/एफ-4-37/2017/18-1, दिनांक 31 मई, 2017, तथा

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं :-

(i) मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 अधिसूचना क्र. 4-एफ-1-1-2016/18-3, दिनांक 24 फरवरी, 2016, तथा

(ii) मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 अधिसूचना क्र.8 एफ-1-25-2016/18-13, दिनांक 28 मार्च, 2017.

पटल पर रखेंगी.

(7) श्री जयभान सिंह पवैया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं –

(क) क्र. एफ 2-01-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 16, दिनांक 01 फरवरी, 2018,

(ख) क्र.एफ 2-03-2018- इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 5, दिनांक 01 फरवरी,2018,

(ग) क्र.एफ 2-04-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 31, दिनांक 01 फरवरी, 2018,

(घ) क्र.एफ 2-2-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 45, दिनांक 13 फरवरी, 2018,

(ङ) क्र.एफ 2-06-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 12, दिनांक 21 मार्च, 2018,

(च) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 46, दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा

(छ) क्र. एफ 2-07-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-15, दिनांक 21 मार्च, 2018

पटल पर रखेंगे.

(8) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 60 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखेंगे.

(9) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(10) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-2017,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-2017,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-2017, तथा

(घ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में गेंहू एवं सरसों खरीदी में केन्द्र प्रभारियों द्वारा अनियमितता एवं कृषकों की खरीदी गई उपज का भुगतान न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामकिशन पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम पिपलिया केवट के कृषकों की भूमि भूमिहीनों को आवंटित किये जाने पर मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का चौसठवां, पैंसठवां, सड़सठवां, अड़सठवां, उनहत्तरवां एवं सत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री जयसिंह मरावी, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री गिरीश गौतम, सभापति, प्राक्कलन समिति का षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ चौवनवां से एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री मोती कश्यप, सभापति, विशेषाधिकार समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री हेमन्त खण्डेलवाल, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन तथा अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर पंचम् एवं षष्टम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चौतीसवां से बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(8) सुश्री उषा ठाकुर, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम्, नवम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के 217 बाग मुंशी हुसैन खां कालोनी की दूध डेरी को शहर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने,

(2) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम झेण्डिया कुण्डिया की जमीन डूब से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने,

(3) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के

(क) ग्राम सिलावरी में सी.सी. रोड/खरंजा निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम सिलावरी अमर सिंह सोलंकी के मकान से भरत सिंह भदौरिया के मकान तक एवं अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बगदिया से मेन केनाल तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,

(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के

(क) ग्राम पलपुरा में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) पुराना गांव भैंसरोली मेन रोड से मास्टर भागीरथ के पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम मझगवां स्थित चमरहाई तालाब में सिंचाई जलाशय का बंधान कराये जाने,

(7) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम काबरी में हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(8) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के काकागंज वार्ड में महलवार देवी से संजय ड्राईव मुख्य सड़क तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. संकल्प.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री विमानन, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश की संस्कारधानी, जबलपुर में विद्यमान 'डुमना विमानतल' के नाम को परिवर्तित कर 'वीरांगना रानी दुर्गावती विमानतल' किया जाये तथा वर्तमान आवश्यकता की दृष्टि से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें."

निर्धारित समय

7. वर्ष 2018-2019 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

2 घण्टे " दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 64, तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह हजार एक सौ इकसठ करोड़, तिरेपन लाख, पचहत्तर हजार, छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) का पुर:स्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा (2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (4) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (5) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (6) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

15 मि. (7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (8) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

निर्धारित समय

(9) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **1 घण्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(11) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(12) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(13) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(14) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **1 घण्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

(15) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

(16) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

(17) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **1 घण्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(18) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018) पर विचार किया जाय. — **2 घण्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 जून, 2018